ग्राम पंचायत लमलैहड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लमलैहड़ी विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री धर्म जीत	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्री राजेश चन्द	23.1.2013 से अद्यतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	1.4.2013 से 17.10.2013
2.	श्रीमति नीशा गुप्ता	18.10.2013 से 28.7.2014
3.	श्री रवि कुमार	29.7.2014 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	7	खाता–ख से अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करना	0.70
2.	8	अनुदानों को उपयोग न करना	7.85

3.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	3.64
4.	10	पंचायत द्वारा क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करना	2.24

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 6.8.2016 से 10.8.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15, 6/15 व 1/14, 9/14, 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 233, दिनांक 6.8.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत लमलैहड़ी से अनुरोध किया गया। तदानुसार ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या : 312420, दिनांक 8.8.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	218790.11	80650	299440.11	15941	283499.11
2014–15	283499.11	111824	395323.11	72481	322842.11
2015–16	322842.11	95564	418406.11	80406	338000.11

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	573632.31	1879984	2453616.31	1295468	1158148.31
2014–15	1158148.31	2925972	4084120.31	3335897	748223.31
2015–16	748223.31	3637314	4385537.31	3600218	785319.31

4. 1. बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार करनी अपेक्षित है। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

अन्तशेष का विवरण :– दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	शीर्ष/निधि का नाम	राशि	हस्तगत राशि	योग
1.	20013052263	के0सी0सी0बी0 ऊना	योजना	480	–	480

2.	20013012616	–यथोपरि–	स्वयं स्त्रोत व अन्य	872324.05	46	872324.05
3.	50051606123	–यथोपरि–	वित्त	56056	–	56056
4.	65233913900	एस0वी0पी0 ऊना	एम0एम0जी0	42478	–	42478
5.	50016002389	के0सी0सी0बी0 ऊना	पी0वाई0 आवास	27189	–	27189
6.	8571450000313	एच0डी0एफ0सी0 ऊना	आई0डब्ल्यू0 एम0पी0–6	42565.37	–	42565.37
7.	50100051353691	–यथोपरि–	–यथोपरि–	82181	–	82181
			कुल योग	**₹1123273.42**	**₹46**	**₹1123319.42**

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय का बजट प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत राजस्व गृहकर ₹500 वसूली हेतु शेष :–

पंचायत सचिव लमलैहड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹500 निम्नानुसार वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	2600	8400	11000	500	10500
2014–15	10500	8400	18900	18350	550
2015–16	550	9250	9800	9300	500

7. खाता (ख) के ब्याज ₹0.70 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष माह : जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित

ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के खातों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज की राशि को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में ₹69992 को अन्तरित नहीं किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता–ख के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	माह	योजना	वित्त	आवास	आई0डब्ल्यू0 एम0पी0–6	आई0डब्ल्यू0 एम0पी0–6	एम0एम0ए0 जी0वाई0	कुल
1.	8/13	887	2997	547	5309	–	–	9740
2.	2/14	2837	2213	320	873	–	–	6543
3.	8/14	3266	2305	544	4974	306	–	11395
4.	2/15	739	989	688	7129	947	–	10492
5.	8/15	2061	2608	558	3849	928	2411	12415
6.	2/16	480	1056	769	593	–	16509	19407
		योग	**₹12168**	**₹3726**	**₹22727**	**₹2181**	**₹18920**	**₹69992**

8. अनुदान ₹7.85 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹785319.31 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.64 के स्टॉक, स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2(i से iv)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹363602 के

स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹2.24 लाख के स्थाई व अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–3(i से iv)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹224374 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गईं। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.28 लाख के स्थाई सामान का क्रय करनाः–

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ वही से प्रिंटर व कार्यालय मेज क्रय करने पर ₹27500 का निम्नानुसार भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	मूल्य
1.	30, 20.9.14	साईं कम्प्यूटर्स, एस0सी0ओ0 गलूआ रोड़, ऊना	प्रिंटर एच0पी0 लेजर जैट प्रो एम 1136 (थ्री इन वन)	1	12500
2.	36, 7.9.15	मैसर्ज विगनेश फर्नीचर इण्डस्ट्री विकास नगर, ऊना	कार्यालय मेज	1	15000
				योग	**₹27500**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या : 1 पर उल्लेखित प्रिंटर का क्रय स्थानीय बाजार से किया गया, जबकि उक्त प्रिंटर का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन, खलीणी से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त प्रिंटर का क्रय हि0प्र0 राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन, खलीणी से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या : 2 पर उल्लेखित कार्यालय मेज का क्रय सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा प्राप्त फर्म से न करके स्थानीय बाजार से किया गया है, जबकि उक्त कार्यालय मेज का क्रय सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त कार्यालय मेज का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अन्तर राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

12. ₹0.05 लाख की क्रय की गई निर्माण सामग्री का दुरूपयोग :–

वाउचर संख्या : 32, दिनांक 16.9.2015 के अन्तर्गत सामान्य निधि की रोकड़ वही से निर्माण कार्य हेतु सामग्री का क्रय करने पर मैसर्ज महावीर स्टोन क्रैशर बड़ूही टकारला, जिला ऊना को ₹30617 का भुगतान किया गया, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की वास्तविक मात्रा से कम मात्रा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके "C/o Nali Somnath to Kaun Khasiarian" कार्य हेतु जारी करके स्टॉक से खारिज कर दिया गया है। फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹4680 की क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा दर्ज करके उसका दुरूपयोग किया गया है।

क्र0 सं0	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य	स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा	कम दर्ज की गई सामग्री का मूल्य	स्टॉक रस्टिर पेज सं0
1.	रेत	400 फुट	23.40	9360	300 फुट	100 फुट	2340	11
2.	बजरा (40 एम0एम)	400 फुट	23.40	9360	300 फुट	100 फुट	2340	10
3.	बजरी (20 एम0एम0)	300 फुट	33.40	10020	300 फुट	–	–	–
				₹28740			**₹4680**	

वैट 5% ₹1437

सी0जी0सी0आर0 ₹440

योग ₹30617

अतः ₹4680 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194 सी0 में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194 सी0 किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों लागू होती है। आयकर की धारा 194 सी0 में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिसके कारण सरकारी कोष में कई हजारों रूपये की टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए हैं। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194 सी0 के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

14. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा; यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए

व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 63(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित रीति से एक उप समिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदिृष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) की गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3. 2016 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए, ताकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 की अनुपालना होने के साथ–साथ स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा गठित सहभागी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मण्डल से एक सदस्य

(iv) युवक मण्डल से एक सदस्य

(v) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक शिक्षक

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही करवाए गए हैं, जोकि पंचायत राज अधिनियम 2002 के अध्याय–11 के उप नियम–93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम–93(b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड विकास कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17. माप पुस्तिका में सामान खपत विवरणी तैयार न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लमलैहड़ी में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूप्ये की सामग्री, जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

18. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख–रखाव न करन :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर

ग्राम पंचायत लमलैहड़ी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के नियमों की अवहेलना है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

20. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22. निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15–(5)11/2016 खण्ड–1–5422–5425 दिनांकः 14.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या (1)(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0

पंजीकृत

4. सचिव, ग्राम पंचायत लमलैहड़ी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.